Free Right of way order from 4 xd Got."
HEAT 966/XXXIV/2014/20/2012

प्रेषक.

सुभाव कुमार, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन

सेवा मं

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव: उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। वेहरादूनः दिनाक 🕫 पूर्वनई, 2014 विषय:– प्रदेश में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का क्रियान्वयन। महोदय

भारत सरकार की नेशनल ऑफ्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु ग्राम पनायत स्तर पर ऑफ्टिकल फाइवर OFC) केंबिट बिछाये जाने हैं। उक्त कार्य हेतु गारत सरकार द्वारा स्पेशल परपंज वेहिकिल ने क्या में नारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) का चयन किया गया है। उक्त परियानमा प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग, भारत सरकार एवं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ संग्डौता ज्ञापन दिनांक 26.10.2012 (प्र ते संलग्न) का हरताक्षारित किया जा चुका है।

- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित व्यवस्थाएं लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:--
- (1) नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेंटवर्क स्थापित किये जाने हेतु ऑप्टिकल काइबर केबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व में पड़ने वाले ्नि की खुदाई से पूर्व विभिन्न स्तरों से अनुमित प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं को द इते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भारत ब्रॉडवेंड नटबर्क लिनिटेंड, जो कि प्रौजेक्ट की इस्लीमेटेशन रजसी है का प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न संस्थाओं से परियोजनावधि में पुनः अनुमित न लनी पड़े, उस हेतु ब्लॅकेट अपूबल एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत आप्टिकल काइबर केबिल (OFC) बिछाने हेतु निःशुल्क अनुमित एवं अधिकार (ROW) होगा तथा कोई भा रीइन्स्टेटमेंट शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (2) उक्त समझौता झापन के प्रस्तर- 52 में की गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत तक आप्टिकल फाइबर केबिल विछाने सं सम्बन्धित समस्त कार्यवाही भारत बॉडबेंड ने 1 के लिंमिटेड (BBNL) द्वारा की जायेगी। भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा रीइन्स्टेटमेंट का कार्य इस मॉति किया जायेगा कि सडक के किनारे खोदी गयी सतह भरसक उसकी मूल रिथित में ल आई जाए। सड़क की कटान को बचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया जायेगा पक्की सड़क

को पार करने के लिए एवं)डींंंं अथवा हों।रजन्टल बोरिंग का प्रयोग किया जायेग ताकि सडक को होने वाली धरि को बन से यम किया जा सके।

- (3) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत ब्रांडबेंड नंटवर्क लिमिटेड के साथ र भन्वय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग गोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगा।
- (4) चूँकि ग्राम पंचायतों तक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा कनेक्टिंहे !! प्रदान किया जाना स्थानीय जनता, ग्राम पंचायतं एवं राज्य सरकार के हित में है अतः र ज्य सरकार के स्थानीय निकाय, राज्य सरकार की कम्पनियों तथा एजेंसियों द्वारा राइट ५ फ वे (ROW) चार्जेज अधिरोपित नहीं किये जायेंगें। इस परियोजना में राज्य सरकार का अंशदान माना जायंगा।
- (5) भारत ब्रॉडबेंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने हेतु स्थापित किये जाने वाले OPGW/ABSS केबिलों की स्थापना के लिए राष्य सरकार की वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों द्वारा गितरण लाइनों/पारेषण लाइनों/उन पारेषण लाइनों पर शुल्क रहित राइट ऑफ वे प्रदान किया जायेगा।
- (6) परियोजना रा सम्बन्धित उपकरणों की रथापना उपकरणों को रखने के लिं यथाआवश्यक शुल्क भुगतान के आधार पर ग्राम पंचायत भवन अथवा अन्य समुचित स्थान पर स्थल एवं विजली उपलब्ध कराई जाएगी तथा ऐसे रथानों पर भारत ब्रॉडवैंड नेटवर्क लि भटड के स्टाफ अथवा प्रतिनिधि को ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स के लिए अनुमति होगी।
- (7) जनपद स्तर पर परियोजना के निर्विवार सफल एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने के लिए निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति गठित की जायेगी:--

	1- जिलाविकारी-	
	2-मुख्य विकास अधिकारी- 3-अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग- 4-अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियत्रण सेवा- 5-अधिशासी अभियन्ता / जिलास्तरीय विभागाध्यक्ष, विवास विकास	ाध्यक्ष भदस्य सचिव विदस्य सदस्य तदस्य विदस्य विदस्य
	9-जिलापचारातीराज्य अभिज्ञानी	ोदस्य
	10—सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी / नगर अधिकारी— 11—अन्य जिलाधिकारी द्वारा नामित—	।दस्य नदस्य
H	लग्नकः- यथोवत्।	<b>ादस्य</b>

भव ोय. (सुभार कुमार) मुख्य सचिव

## संख्या 366 / XXXIV / 2014 / 20 / 2012 तत्विनाक

प्रतिनिमि - निनातिस्वित जो सूचनार्थ एव अवस्थक कार्यवाही हतु प्रमित।

- । निजी सचिव अपर मुख्य शृविव उत्तराखण्ड शासन।
- 2 निजी सांचेन प्रमुख सतिव एफ०३म गडी०सीव उत्तराखण्ड शासन
- 3 संचार एव सूचना प्रौद्योगिकी मन्नालय दूरसंचार विभाग भारत सरकार।
- भारत ब्रॉडबैंड नेट क लिंगिटेड देहरादून।
- 6 गार्डफाईल।

Jan A

अपर गांचव

## Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003 Dated: 26th October, 2021

To

The Secretary (Forests). All State Governments/UT Administrations

Sub: Clarification on applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 over RoW of Roads - regarding.

Sir,

The undersigned is directed to refer to the meeting of Group of Infrastructure held on 24.08.2021 under the chairmanship of Hon'ble Minister, RT&H and MSME wherein it has been desired to clarify the applicability of Forest (Conservation) Act, 1980 in respect of lands within the RoW, ownership of which rests with the NHAI or State Government. The matter with regard to the applicability of the Act in such lands was examined in the Ministry and after due deliberation following is clarified:

"if the ownership of land vests with MoRT&H/NHAI/State road constructing agency, it is not a 'forest' as per Government records and the same land is under 'non-forest use' before 25th October 1980, then provisions of Forest (Conservation) Act 1980 would not apply".

This issues with the approval of competent authority.

Sd/-(Sandeep Sharma) Assistant Inspector Generalof Forests

- 1. The Secretary, Ministry of Road Transport & Highway, Transport Bhawan, Parliament Street New Delhi-110001
- 2. PCCF (HoFF), Department of forests, all States/UTs
- 3. DDG (F), MoEF&CC's all IROs
- 4. APCCF cum Nodal Officer (FCA), Department of forests, all States/UTs.

5. PPS to Secretary, (EF&CC)/PPS to DGF&SS, MoEF&C

Signed by Sandeep Sharma Date: 26-10-2021 18:52:00

Reason: Approved

